न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर बनाम जसाराम पुत्र जोगाराम प्रार्थना पत्र संख्या 119/2025 अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम ।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण तहसीलदार झंवर द्वारा अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अप्रार्थी द्वारा ख.स. 220/1 रकबा 0.3237 ग्राम गंगाणा तहसील झंवर की कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाए गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया जाने पर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व रैकर्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.06.2025 को जारी किया गया। अप्रार्थी को समन जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 220/1 जो कि मेरी कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि का उपयोग कृषि रूप में ही लगातार निरन्तर रूप से किया जा रहा है जबकि मौके पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक कार्यवाही नही हो रही है। उक्त भूमि के बाहर आम रास्ते पर हमारे निजी वाहन बसे खड़ी रहती है। वाहनो को धूप से बचाने के लिये टीनशेड है जो उपरोक्त खसरे में नही है। कटाणी रास्ते की भूमि पर हमारे वाहन एवं अन्य लोगो के वाहन रख दिये जाते है। इन परिस्थितियों में मात्र आस पडौसीयों द्वारा अप्रार्थी से आपसी रंजिश होने के कारण दुर्भावना से मिथ्या एवं झुठी शिकायते की गयी है जो कि पूर्णतया गलत है। जवाब पेश कर अप्रार्थी द्वारा इन परिस्थितियों में उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है। बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाए गैर कृषि किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। जबकि अप्रार्थी की ओर से इसका खण्डन करते हुए कहा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा रही है बल्कि उक्त भूमि के बाहर आम/कटाणी रास्ते पर निजी वाहन खड़े रहना बताया है जो कि उक्त खसरे में नही होना बताया गया है। कटाणी रास्ते की भूमि पर हमारे वाहन एवं अन्य लोगो के वाहन रख दिये जाते है। अप्रार्थी के जबाव का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु निरस्तर उपयोग में ले रहा है। हल्का पटवारी की मौका फर्द में उक्त खसरे के सम्पूर्ण अथवा आंशिक हिस्से की भूमि गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली गई, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे बनायी गयी है जिससे यह सिद्ध नही हो रहा है अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गैर कृषि प्रयोजन कार्य किया गया हो। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	